(अमोल रतन सिंह, जे.)

जे.अमोल रतन सिंह के समक्ष,

राकेश बूरा-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य प्रतिवादी

सी. डब्ल्यू. पी. सं. 3011/2014

09 जनवरी, 2018

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-अनिवार्य सेवानिवृत्ति-याचिकाकर्ता, स्कूल प्रिंसिपल-यौन उत्पीड़न की शिकायतों की उपेक्षा करने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति की चुनौती दी गई सजा-मुख्य आरोपी के दोषमुक्त रूप में सजा की मात्रा पर नए निर्णय के लिए प्रेषित मामला ।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि परिणामस्वरूप, नीलम कुमारी की शिकायतों की उपेक्षा करने के आरोप में याचिकाकर्ता के अपराध के संबंध में जांच अधिकारी और दंडक प्राधिकरण के निष्कर्ष को बरकरार रखते हुए, लेकिन क्योंकि जिस व्यक्ति के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे, उसके खिलाफ अनिर्णायक निष्कर्षों को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंततः कोई सजा नहीं दी गई है, इस याचिका को आंशिक रूप से इस हद तक अनुमति दी गई है कि याचिकाकर्ता को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा के विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता को दी जाने वाली सजा की मात्रा पर उसकी सेवा में उसके पिछले रिकॉर्ड को भी ध्यान में रखते हुए एक नया निर्णय लेने के लिए मामला प्रतिवादी को भेजा गया।

(पैरा 97)

आगे अभिनिर्धारित किया कि यहाँ यह कहा जा सकता है कि यह न्यायालय आम तौर पर दी गई सजा की मात्रा में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन उस व्यक्ति की परिस्थिति में जिसके खिलाफ मुख्य आरोप है, उसे दोषमुक्त कर दिया गया है, स्वर्गीय नीलम कुमारी की शिकायत की उपेक्षा करने के लिए याचिकाकर्ता पर लगाए गए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दंड को बहुत कठोर माना जाता है।

(पैरा 98)

आर. के. मलिक, वरिष्ठ अधिवक्ता,

रमनदीप सिंह, अधिवक्ता,

याचिकाकर्ता के लिए।

आर. के. दून, ए. ए. जी, हरियाणा।

अमोल रतन सिंह, जे।

(1) इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता, जो सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मटलाउदा के प्राचार्य के रूप में काम कर रहा है, प्रतिवादी द्वारा पारित दिनांकित 10.02.2014 को रद्द आदेश की मांग करता है, अर्थात वित्तीय आयुक्त और हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवा से सेवानिवृत्त करते हुए, एक अन्य व्याख्याता के हाथों यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए। उसे एक महिला व्याख्याता द्वारा दायर शिकायतों के प्रति असंवेदनशील होने का दोषी ठहराया

(2) याचिकाकर्ता पर निम्नलिखित आरोप लगाए गए थेः-

"कि श्री राकेश बूरा ने न तो अंग्रेजी की व्याख्याता स्वर्गीय सुश्री नीलम द्वारा की गई विभिन्न शिकायतों का निपटारा किया है। वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तहसील शिविर (पानीपत) ने यौन उत्पीड़न के संबंध में और न ही इसे उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया।लेकिन इसके बजाय, उन्होंने पांच कनिष्ठ कर्मचारियों की एक समिति का गठन किया है जो जांच करने में विफल रहे हैं।उसी के परिणामस्वरूप, स्वर्गीय सुश्री नीलम ने मानसिक और सामाजिक पीड़ा के कारण आत्महत्या कर ली है।"

(3) जाँच अधिकारी के रूप में नियुक्त एक सेवानिवृत्त आई. ए. एस. अधिकारी के साथ एक नियमित जाँच के बाद, याचिकाकर्ता को आरोप के पहले भाग के लिए दोषी पाया गया, इस प्रभाव से कि उसने दिवंगत व्याख्याता के कारण यौन उत्पीड़न की 13 शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया था, जो उसने अपने स्कूल के प्राचार्य के रूप में याचिकाकर्ता को दी थी।

(4) शिकायतों की ठीक से जांच नहीं करने के आरोप के दूसरे भाग को जांच अधिकारी द्वारा साबित नहीं किया गया था।

(5) इस प्रकार, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आक्षेपित आदेश में, दंडक प्राधिकरण, अर्थात इसमें प्रतिवादी ने अभिनिर्धारित किया कि किसी भी मामले में पहला आरोप साबित हो गया था, और याचिकाकर्ता पर उस तरीके से भी आक्षेप लगाए गए थे जिसमें दिवंगत व्याख्याता को केवल जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर पर, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को सूचित किए बिना, सरकारी मॉडल स्कूल, पानीपत से स्थानांतरित किया गया था, जो अनुचित भी था और वास्तव में, संस्थान के प्रमुख के रूप में, याचिकाकर्ता से यह आवश्यक था कि वह न्यायाधीश और निष्पक्षता के हित में पुरुष व्याख्याता के स्थानांतरण की भी सिफारिश करे।

(6) इसके अलावा, विवादित आदेश में, यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने राजिंदर, यानी जिस व्याख्याता के खिलाफ स्वर्गीय नीलम कुमारी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, के साथ मिलीभगत में

(अमोल रतन सिंह, जे.)

नीलम कुमारी के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए पानीपत के पुलिस अधीक्षक के साथ मामला उठाया, न कि पहले इस मामले को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उठाया।

(7) हालाँकि ये आवश्यक तथ्य हैं, फिर भी, रिट याचिका में जो कहा गया है, उसे भी गणना की जा रही है जैसा कि आगे दिया गया है।

(8) याचिकाकर्ता के बारे में कहा जाता है कि वह 23.10.1991 पर गणित में व्याख्याता के रूप में शिक्षा विभाग में शामिल हुआ और तब तक जारी रहा जब तक कि उसे 27.10.2004 को प्राचार्य के रूप में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त नहीं किया गया।

(9) कहा जाता है कि उनका पूरे समय एक उत्कृष्ट सेवा रिकॉर्ड रहा है, उनके एसीआर से उन्हें कभी कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं दी गई।

(10) कहा जाता है कि उन्हें खेल में और स्कूल में अच्छे परिणामों के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया था, साथ ही स्वतंत्रता दिवस 2008 पर जिला प्रशासन द्वारा 'सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन' के लिए सम्मानित किया गया था।

(11) याचिका के अनुसार, अंग्रेजी में उपरोक्त व्याख्याता, सुश्री नीलम कुमारी, स्कूल के प्राचार्य के रूप में याचिकाकर्ता के कार्यकाल के दौरान सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, तहसील कैंप पानीपत में तैनात थीं, महिला को प्रिंसिपल के स्कूल से

लगभग एक किलोमीटर दूर सरकारी मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पानीपत में 'स्थानांतरित' किया गया था, जिसके बाद उसकी मृत्यु 11.02.2009 को हो गई, जिसके बाद उसके पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी।

(12) महानिदेशक, विद्यालय शिक्षा ने दिनांकित 03-2009 एक पत्र के माध्यम से उप निदेशक (परीक्षा), श्रीमती कांता शर्मा को प्रारंभिक जांच का काम सौंपा। कांता शर्मा ने जांच अधिकारी की राय के साथ कहा कि याचिकाकर्ता ने स्वयं कोई जांच करके स्वर्गीय नीलम कुमारी की समस्याओं को हल करने में कोई रुचि नहीं ली, और इसके बजाय "यौन उत्पीड़न की समस्या को हल करने के लिए" पांच जूनियर स्कूल शिक्षकों की एक समिति का गठन किया।"

(13) स्वयं शिकायतकर्ता के बारे में कहा गया है कि वह समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुई है और उसके पिता उपस्थित हुए हैं।याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसने कहा है कि 08.09.2008 को एक 'मौखिक समझौता' किया गया था।

(14) हालांकि, नीलम कुमारी के पिता ने (प्रारंभिक जांच करने वाले जांच अधिकारी के समक्ष) इस तरह के किसी भी समझौते से इनकार किया।

(15) प्रारंभिक जांच रिपोर्ट (जिसकी एक प्रति याचिका के साथ संलग्नक पी-1 के रूप में संलग्न की गई है) आगे प्रस्तुत करती है कि समय बीतने के साथ स्थिति गंभीर होती गई और राजिंदर द्वारा नीलम कुमारी के खिलाफ उनकी जाति से संबंधित शब्दों का उपयोग करने के लिए और अधिक शिकायतें की गईं, जिसमें बारहवीं कक्षा के छात्रों ने भी उनके व्यवहार के खिलाफ शिकायतें की थीं, जो अन्य कर्मचारियों द्वारा भी की गई थीं।

(16) उपरोक्त जाँच अधिकारी के अनुसार, यौन उत्पीड़न की जाँच वास्तव में जिले की सबसे वरिष्ठ महिला अधिकारी को सौंपी जानी चाहिए थी, या स्वयं प्रधानाचार्य को की जानी चाहिए थी।हालांकि, जांच अधिकारी की यह टिप्पणी याचिकाकर्ता के खिलाफ नहीं है, बल्कि जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत के खिलाफ है, जिन्होंने जांच करने के लिए एक पुरुष खंड शिक्षा अधिकारी नियुक्त किया था।(यह स्पष्ट रूप से उस पाँच सदस्यीय समिति के अतिरिक्त था जिसने याचिकाकर्ता के कहने पर इस मुद्दे की जांच की थी)।

(17) प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि शिकायतकर्ता सुश्री नीलम कुमारी की मृत्यु 11.02.2009 को बिना किसी "मौके पर गवाह और प्रति-पूछताछ"

के हुई थी, यह स्थापित करना असंभव था कि क्या उनकी मृत्यु याचिकाकर्ता और उपरोक्त व्याख्याता श्री के दुर्व्यवहार के कारण हुई थी। राजिंदर (या नहीं)।

(18) रिपोर्ट में आगे यह देखा गया है कि हालाँकि, घटनाओं का क्रम, और याचिकाकर्ता, उपरोक्त राजिंदर और अन्य कर्मचारियों और छात्रों द्वारा नीलम कुमारी के खिलाफ की गई शिकायतें, साथ ही बिना अनुमति प्राप्त किए बहुत कम समय में उनका स्थानांतरण, कुछ संदिग्ध संकेत देता है।

(19) इसलिए, प्रारंभिक जांच करने वाले जांच अधिकारी की अंतिम राय यह थी कि दोनों अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध थी और "सही नहीं" थी।

(20) इसके बाद कहा जाता है कि याचिकाकर्ता को एक आरोप-पत्र जारी किया गया था (उसके खिलाफ ऊपर दिए गए आरोप के साथ), जिस पर उसने अपना जवाब प्रस्तुत किया (जिसकी एक प्रति याचिका के साथ संलग्नक पी-3 के रूप में संलग्न की गई है)।

(21) उसके अवलोकन से पता चलता है कि उनके द्वारा यह कहा गया है कि प्राचार्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, नीलम कुमारी ने उन्हें यौन उत्पीड़न की कोई लिखित या मौखिक शिकायत नहीं दी थी, न ही उनका यौन उत्पीड़न किया गया था।वास्तव में, हिंदी में व्याख्याता श्री राजिंदर ने नीलम कुमारी के बारे में उसके असभ्य व्यवहार के बारे में 02.09.2008 को शिकायत की।

(22) जहां तक पांच कनिष्ठ कर्मचारियों की समिति के गठन का संबंध है, याचिकाकर्ता द्वारा आरोप पत्र के अपने जवाब में यह तर्क दिया गया था कि उक्त समिति को राजिंदर द्वारा की गई शिकायत की भी जांच करनी थी, हालांकि याचिकाकर्ता ने स्वयं पहले मामले की जांच करने का प्रयास किया था।हालांकि, मामले की गंभीरता को देखते हुए और कर्मचारियों के सुझावों पर, उन्होंने पांच जिम्मेदार शिक्षकों की एक समिति का गठन किया, ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके।

(23) याचिकाकर्ता के अनुसार, सबसे वरिष्ठ महिला व्याख्याता (नीलम और कुमारी और राजिंदर के बाद) भी समिति का हिस्सा थीं; लेकिन इस बीच, नीलम कुमारी ने 04.09.2008 पर राजिंदर के साथ फिर से दुर्व्यवहार किया।

(24) इस प्रकार, नीलम कुमारी के असामान्य व्यवहार को देखने के बाद और फिर से कर्मचारियों के सुझावों पर, उनके पिता को बुलाया गया, और याचिकाकर्ता के

कार्यालय में दोनों के बीच एक मौखिक समझौता हुआ, जिसकी बाद में समिति के समक्ष पुष्टि की गई।

(25) याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि नीलम कुमारी ने वास्तव में अपनी गलती स्वीकार कर ली थी और राजिंदर ने इस पर सहमति व्यक्त की थी।

(26) इसलिए, याचिकाकर्ता के अनुसार, गठित समिति नीलम कुमारी के यौन शोषण के किसी भी आरोप की जांच करने के लिए नहीं थी, बल्कि नीलम कुमारी के खिलाफ राजिंदर द्वारा की गई शिकायत की जांच करने के लिए थी, वास्तव में नीलम कुमारी द्वारा कोई लिखित या मौखिक शिकायत नहीं थी।

(27) इसके अलावा, आरोप पत्र पर याचिकाकर्ताओं के जवाब के अनुसार, 11.2008 पर फिर से नीलम कुमारी ने राजिंदर को अश्लील और सांप्रदायिक शब्द कहे, जिसके संबंध में उन्होंने फिर से शिकायत की थी ।

(28) इसलिए, उपरोक्त के कारण, इस तथ्य को देखते हुए कि छात्र और कर्मचारी सदस्य भी उसके खिलाफ शिकायत कर रहे थे, याचिकाकर्ता ने 19.01.2009 को उसके असामान्य व्यवहार के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत को एक लिखित शिकायत की है।

(29) कहा जाता है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने तब खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच कराई, और फिर नीलम कुमारी को सरकारी मॉडल संस्कृति स्कूल में 23.01.2009 पर स्थानांतरित कर दिया, जो उनके घर से केवल एक किलोमीटर दूर था।

(30) स्थानांतरण आदेश को नीलम कुमारी ने दीवानी अदालत के समक्ष चुनौती दी थी, जिसे याचिकाकर्ताओं के कारण बताएँ नोटिस के जवाब के अनुसार, बिना किसी आधार के एक चुनौती पाया गया था और वास्तव में अभियोक्ता नीलम कुमारी की मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल टिप्पणियां की गई थीं।[नीलम कुमारी द्वारा मुकदमा दीवानी मुकदमे में विद्वान अतिरिक्त दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग), पानीपत, दिनांक 07.02.2009 के आदेश की एक प्रति, याचिका के साथ संलग्नक पी-26 के रूप में संलग्न की गई है]।

(31) इसके अलावा, याचिकाकर्ता के आरोप-पत्र के जवाब में यह तर्क दिया गया है कि इसके बाद नीलम कुमारी की मृत्यु उनके घर में 11.02.2009 को हुई, जिसके बाद उनके माता-पिता ने उनकी सेवा लाभ प्राप्त आदेश के लिए एक शपथ पत्र निष्पादित किया, जिसमें उनकी मृत्यु भी स्वाभाविक बताई गई, उनके भाई ने भी 13.02.2009 पर इस आशय का बयान दिया था।

(32) इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि नीलम कुमारी ने अपने भाइयों के बयान के अनुसार भी आत्महत्या नहीं की थी।

(33) याचिकाकर्ता के अनुसार लड़की की मौत के तीन महीने बाद उसके और राजिंदर के खिलाफ एक झूठी प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसकी भी जांच की गई, जिसमें याचिकाकर्ता को जांच में निर्दोष पाया गया।

(34) याचिकाकर्ता के अनुसार, उसकी पत्नी भी उसी स्कूल में गणित की अध्यपिका के रूप में काम करती थी, लेकिन उसे भी कथित रूप से की गई झूठी शिकायतों पर स्थानांतरित कर दिया गया था, अन्य शिक्षकों ने भी नीलम कुमारी की मौत का हवाला देते हुए स्थानांतरण कराने का प्रयास किया था।

(35) अंत में, आरोप-पत्र के जवाब में कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा विभाग को विधिवत सूचित किया गया था, जिसने कभी भी अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं की और वास्तव में उसे अपने समर्पण और सत्यनिष्ठा के लिए सम्मानित किया गया है।

(36) सक्षम प्राधिकारी ने उपरोक्त उत्तर को संतोषजनक नहीं पाया, श्री वी. पी. बत्रा आई. ए. एस. (सेवानिवृत्त) को एक जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, जिन्होंने 10.10.2011 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की (जिसकी एक प्रति रिट याचिका के साथ संलग्नक पी-4 के रूप में संलग्न की गई है), जिसमें अंतिम निष्कर्ष इस प्रकार हैः-

“भाग-I:- श्री. राकेश बूरा ने अपने स्तर पर स्वर्गीय कुमारी नीलम लेक्चरर अंग्रेजी की यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच नहीं की और उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाने के बजाय पांच विद्यालय के कर्मचारियों की एक समिति का गठन किया जाँच की गई और वे जाँच करने में विफल रहे। (सिद्ध नहीं)

भाग-2:- श्री राकेश बूरा ने स्वर्गीय कुमारी नीलम की यौन उत्पीड़न की शिकायतों की उपेक्षा की, जो उक्त 13 शिकायतों में शामिल हैं। (सिद्ध)

(37) इसमें प्रतिवादी (प्रधान सचिव), जांच रिपोर्ट से असहमत होने के बाद, याचिकाकर्ता को दिनांक 20.12.2011 का एक असहमति पत्र (संलग्नक पी-5) दिया गया था, जिस पर उन्होंने फिर से एक विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुनवाई के समय एक अभ्यावेदन, संलग्नक पी-7 के माध्यम से दोहराया था।

(38) याचिका में आगे, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि वास्तव में, नीलम कुमारी द्वारा
24.05.2008,12.05.2008,23.07.2008,13.01.2009,29.08.2008,15.11.2008,12.08.2008 और 31.07.2008 पर दायर की गई शिकायतें उनके कार्यालय में (प्राचार्य के रूप में) कभी प्राप्त नहीं हुईं, और नीलम कुमारी की मृत्यु के बाद, राजिंदर के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 306,294,509,109 और 120-बी के तहत दर्ज आपराधिक मामले में, याचिकाकर्ताओं के नाम का भी उल्लेख किया गया था, लेकिन उन्हें निर्दोष पाए जाने के बाद, मामला अंततः केवल राजिंदर के खिलाफ दर्ज किया गया था।

(39) यह आगे कहा गया है कि पानीपत शहर के पुलिस स्टेशन के एस. एच. ओ. द्वारा की गई जांच, नीलम कुमारी द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के संबंध में स्कूल से सत्यापन के बाद की गई थी, जिसमें उक्त जानकारी को पुलिस अधीक्षक, पानीपत के कार्यालय में तैनात निरीक्षक द्वारा भी जांच के बाद पारित किया गया था।

(40) याचिकाकर्ता के अनुसार, यहां तक कि स्कूल के प्राचार्य के रूप में उनके उत्तराधिकारी ने भी जांच में कहा था कि उक्त शिकायतें वास्तव में स्कूल में कभी प्राप्त नहीं हुई थीं, जिसमें प्राचार्य के पत्रों की प्रतियां एस. एच. ओ. को संबोधित थीं, और पुलिस अधीक्षक, पानीपत के कार्यालय को याचिका के साथ पी-11 से पी-13 के संलग्नक के रूप में संलग्न किया गया था (हालांकि संलग्नक पी-11 याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं लिखा गया प्रतीत होता है)।

(41) दिए गए बयानों का भी संदर्भ दिया गया है। जो ऑफिस स्कूल में क्लर्क श्रीमती राजबीर कौर ने पुलिस के सामने खंड 161 Cr.P.C के तहत, जिसमें उन्होंने भी कहा कि नीलम कुमारी ने प्रिंसिपल के कार्यालय में ऐसी कोई शिकायत नहीं की थी।(राजबीर कौर के बयान की एक प्रति संलग्नक के साथ अनुबंध पी-14 के रूप में संलग्न की गई है)।

(42) इसलिए, उपरोक्त पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता का तर्क है कि उसे जारी किया गया आरोप-पत्र इस धारणा पर आधारित है कि नीलम कुमारी ने "मानसिक और सामाजिक अशांति" के कारण आत्महत्या की थी, लेकिन वास्तव में, उसके माता-पिता ने वास्तव में उस समय स्कूल के अधिकारियों के समक्ष एक शपथ पत्र दायर किया था जब उन्होंने पेंशन/सेवा लाभ मांगे थे, इस प्रभाव से कि उनकी बेटी की मृत्यु 11.02.2009 को प्राकृतिक कारणों से हुई थी।02.03.2009 दिनांकित शपथपत्र की

एक प्रति शपथ पत्र के साथ संलग्नक पी-25 के रूप में संलग्न की गई है, जिसमें इसके पहले पैराग्राफ में उपरोक्त प्रभाव का उल्लेख किया गया है।

(43) याचिकाकर्ता की पत्नी ने भी जन्म और मृत्यु रजिस्टर, पानीपत से जानकारी प्राप्त की है, जिसके अनुसार नीलम कुमारी की मृत्यु का कारण दिल का दौरा पड़ा था, रमेश कुमार नाम के एक व्यक्ति ने उनकी मृत्यु के पंजीकरण के समय ऐसा कहा था।

(44) याचिकाकर्ता के अनुसार, उपरोक्त रमेश कुमार स्वर्गीय नीलम कुमारी के भाई हैं।

(45) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त उक्त जानकारी की एक प्रति भी याचिका के साथ संलग्न की गई है, और याचिकाकर्ता के अनुसार, उसके शरीर पर कोई पोस्टमार्टम परीक्षण नहीं किया गया था।

(46) इसके अलावा, आपराधिक कार्यवाही में आर्थिक अपराध शाखा के निरीक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षक, पानीपत के कार्यालय में एक जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई, जिसे अंततः पुलिस महानिरीक्षक, रोहतक रेंज के समक्ष रखा गया और यहां तक कि पानीपत जिले के बाहर पुलिस उपाधीक्षक, बहादुरगढ़ को सौंपी गई जांच में भी याचिकाकर्ता को निर्दोष पाया गया।याचिका के साथ सभी जांच रिपोर्टों की प्रतियां भी संलग्न की गई हैं।

(47) नीलम कुमारी के पिता द्वारा Cr.P.C की खंड 319 के तहत दायर एक आवेदन को भी विद्वत निचली अदालत द्वारा अपने दिनांकित 11.05.2010 के आदेश के अनुसार खारिज कर दिया गया है, जिसके खिलाफ इस अदालत में एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी, जिसे 05.07.2011 पर भी खारिज किया गया है, और उसके बाद दायर एक एसएलपी को भी 09.09.2011 पर खारिज कर दिया गया है।याचिका के साथ उपरोक्त आदेशों की प्रतियां भी संलग्न की गई हैं।

(48) अंततः आपराधिक मामले में, राजिंदर को भी बरी कर दिया गया है, जिसमें विद्वान सत्र न्यायाधीश, पानीपत के फैसले की एक प्रति याचिका के साथ संलग्नक पी-24 के रूप में संलग्न की गई है।

(49) इस प्रकार, संक्षेप में याचिकाकर्ता का तर्क है कि उसे वास्तव में सभी आपराधिक जांचों में दोषमुक्त कर दिया गया है, जिसमें नीलम कुमारी द्वारा की गई

किसी भी शिकायत का तथ्य प्रिंसिपल के कार्यालय में प्राप्त किया गया है, जिसे सभी संबंधित लोगों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, जिसमें बाद के प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के कार्यालय में क्लर्क भी शामिल हैं, और आगे, कि उसके द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों को जांच का जिम्मा केवल राजिंदर द्वारा की गई शिकायतों के संबंध में है, जो प्रतिवादी वित्तीय आयुक्त-सह-प्रिंसिपल सचिव द्वारा याचिकाकर्ता पर सजा लगाते समय किया गया निष्कर्ष है, बिना उचित दिमाग के अनुप्रयोग के है।

(50) प्रतिवादी की ओर से दायर लिखित बयान में, हरियाणा सरकार के विशेष सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा, यह कहा गया है कि 26.02.2009 दिनांकित शिकायत नीलम कुमारी के पिता श्री दया नंद, याचिकाकर्ता के खिलाफ, अपनी बेटी के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए, जो विभाग में प्राप्त हुआ था, श्रीमती. कांता शर्मा को एक जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया (जैसा कि ऊपर देखा गया है)।

(51) प्रारंभिक जांच के तथ्य, आरोप-पत्र जारी किए जाने और नियमित जांच किए जाने के बाद, याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से सुना गया है, जवाब में स्वीकार किया जाता है।

(52) जवाब के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी ने शिकायतों और रिकॉर्ड के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों सहित पूरे मामले पर विचार करने के बाद पाया कि याचिकाकर्ता ने एक महिला कर्मचारी द्वारा उसके साथ हुए यौन उत्पीड़न के संबंध में की गई विभिन्न शिकायतों पर विचार करने में कोई रुचि नहीं दिखाई थी, और यह कि उसने कभी भी इस तरह के गंभीर मामले को पदानुक्रम में उच्च अधिकारियों के ध्यान में नहीं लाया।

(53) यह आगे कहा गया है कि जांच के दौरान, याचिकाकर्ता ने वास्तव में नीलम कुमारी द्वारा छात्रों के खिलाफ और राजिंदर के खिलाफ की गई शिकायत के संबंध में कोई रसीद रजिस्टर नहीं दिखाया, और इसलिए, यह सही निष्कर्ष निकाला गया कि छात्रों द्वारा नीलम कुमारी के खिलाफ की गई शिकायतों के संबंध में याचिकाकर्ता और राजिंदर की भूमिका, बोर्ड से ऊपर नहीं थी, और वास्तव में कुछ छात्रों ने जांच के दौरान भी इससे इनकार किया था।

(54) लिखित बयान में प्रारंभिक प्रस्तुतियाँ, इसके बाद इस आधार पर निर्णय को सही ठहराती हैं कि आपराधिक कार्यवाही में किसी व्यक्ति को बरी करने का पैमाना अनुशासनात्मक कार्यवाही से पूरी तरह से अलग है, और इसलिए, याचिकाकर्ता

उन कार्यवाहियों में राजिंदर कुमार को भी दोषमुक्तिने पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है।।

(55) जवाब में यह दोहराया गया है (जैसा कि विवादित आदेश में कहा गया है) कि याचिकाकर्ता का कर्तव्य था कि वह व्यक्तिगत रूप से मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखे, विशेष रूप से एक महिला कर्मचारी द्वारा चरित्र हनन के आरोपों को देखते हुए।(56) इसमें आगे कहा गया है कि आरोप का दूसरा भाग जांच अधिकारी द्वारा भी साबित किया गया था, और प्रारंभिक जांच करने वाले अधिकारी की रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट था कि याचिकाकर्ता ने प्राचार्य के रूप में पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया था, नीलम कुमारी द्वारा छात्रों और राजिंदर के खिलाफ की गई शिकायतों के बारे में कोई रसीद रजिस्टर नहीं दिखाया था।

(57) इसके बाद यह दोहराया गया है कि याचिकाकर्ता को 24.01.2009 पर जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर पर नीलम कुमारी के स्थानांतरण को उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाना चाहिए था।

(58) उपरोक्त दलीलों पर, प्रतिवादी की ओर से विवादित आदेश का बचाव किया गया है।

(59) याचिकाकर्ता द्वारा उपरोक्त लिखित बयान के लिए एक संक्षिप्त प्रतिकृति दायर की गई है, जिसमें दोहराया गया है कि सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, तहसील शिविर, पानीपत में क्लर्क राजबीर कौर के बयान के अनुसार, यह बहुत स्पष्ट था कि नीलम कुमारी से कोई शिकायत नहीं मिली थी, जिसे पुलिस अधिकारियों द्वारा भी सत्यापित किया गया है।

(60) श्रीमती कांता शर्मा उप निदेशक परीक्षा।(संलग्नक पी-1):- द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक जांच रिपोर्ट से निम्नलिखित को भी प्रतिकृति में पुनः प्रस्तुत किया गया है।,

> “प्राचार्य को ये सभी पत्र दिखाए गए, जैसा कि बिंदु-5 में बताया गया है, लेकिन उन्होंने उन्हें स्वीकार नहीं किया और वे स्कूल के रसीद रजिस्टर में दर्ज नहीं पाए गए।

(61) इसके बाद यह दोहराया जाता है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नीलम कुमारी से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी, और यह तथ्य कि पांच कनिष्ठ कर्मचारियों की समिति केवल नीलम कुमारी के खिलाफ राजिंदर द्वारा की गई शिकायतों की जांच करने के लिए गठित की गई थी (समिति के गठन के आदेश की प्रति याचिका के साथ संलग्नक पी-28 और राजिंदर द्वारा की गई शिकायतों को संलग्नक पी-27 होने के साथ), और अंत में, यह धारणा जताई गई कि नीलम कुमारी

के माता-पिता और भाई के बयानों के विपरीत, नीलम कुमारी ने आत्महत्या की थी, विवादित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।

(अमोल रतन सिंह, जे.)

(62) यह आगे कहा गया है कि नीलम कुमारी की मृत्यु के संबंध में पुलिस में शिकायत भी उसके पिता द्वारा उसकी मृत्यु के तीन महीने बाद की गई थी और किसी भी मामले में, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं था, जिसमें ऐसे सभी आरोप राजिंदर के खिलाफ थे, जिन्हें न केवल आपराधिक अदालत ने बरी कर दिया है, बल्कि जांच अधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही में भी बरी कर दिया गया है।

(63) इसके बाद, दायर एक दरखास्त पर, जिसे इस अदालत ने दिनांक 09.11.2017 के एक आदेश के माध्यम से अनुमति दी थी (जिसके आदेश से, इस मामले में निर्णय सुरक्षित रखा गया था), हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्वर्गीय नीलम कुमारी के यौन उत्पीड़न के आरोप में उपरोक्त राजिंदर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले में पारित आदेश को संलग्नक पी-43 के रूप में रिकॉर्ड में लिया गया था।

(64) उस आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि उसी जांच अधिकारी ने, जिसने याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच की थी, राजिंदर को यौन उत्पीड़न के आरोपों से यह कहते हुए बरी कर दिया था कि ऐसा आरोप स्थापित नहीं किया गया था।

(65) उस निष्कर्ष को दंडक प्राधिकारी (वर्तमान याचिका में विवादित आदेश पारित करने वाले व्यक्ति के उत्तराधिकारी अधिकारी, यानी अब पुनः नामित प्रतिवादी) द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, जिसमें उपरोक्त राजिंदर को सेवा में बहाल कर दिया गया है, उस अवधि के साथ जिसके दौरान उनकी सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था, उसे भी कर्तव्य अवधि माना गया है।इसलिए उनके खिलाफ आरोप-पत्र फाइल करने का आदेश दिया गया।

(66) याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मलिक ने पहले उपरोक्त सभी तथ्यों को दोहराया जो पहले ही ऊपर देखे जा चुके हैं, और प्रस्तुत किया कि इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से राजिंदर के खिलाफ नीलम कुमारी की कोई शिकायत भी उस स्कूल में दर्ज नहीं पाई गई थी जिसमें याचिकाकर्ता प्राचार्य था, और आगे उसने अपने माता-पिता और भाई के बयानों के अनुसार भी आत्महत्या नहीं की थी, और विशेष रूप से जब वह व्यक्ति जिसके

खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे, न केवल आपराधिक कार्यवाही में बरी हो गए थे, बल्कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में भी आरोपों से पूरी तरह से बरी हो गए थे, याचिकाकर्ता के खिलाफ एक आरोप पर जांच अधिकारी द्वारा दिए गए निष्कर्ष और प्रतिवादी द्वारा पारित विवादित आदेश किसी भी मामले में टिकाऊ नहीं हैं।

(67) श्री दून, विद्वान सहायक महाधिवक्ता हरियाणा, ने हालांकि कहा कि याचिकाकर्ता ने वास्तव में अपने जिम्मेदारी की

नीलम कुमारी द्वारा की गई शिकायतों के बारे में उपेक्षा की है। और उच्च अधिकारियों की मंजूरी लिए बिना एक स्कूल से दूसरे स्कूल में उनके स्थानांतरण के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार होने के कारण, विवादित आदेश सही ढंग से पारित किया गया था और इसमें इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(68) दलीलों और दोनों पक्षों की ओर से उठाई गई दलीलों पर विचार करने के बाद, सबसे पहले जिस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह है कि उपरोक्त राजिंदर के पक्ष में पारित आदेश संलग्नक पी-43 के संबंध में, जिसके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप स्वर्गीय नीलम कुमारी द्वारा लगाए गए थे, उक्त आदेश, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, इस तथ्य के आधार पर है कि राजिंदर के खिलाफ आरोप उसी जांच अधिकारी द्वारा साबित नहीं किए गए थे, जिसने कि याचिकाकर्ता के खिलाफ यहां जांच की गई थी।

(69) उस जांच रिपोर्ट, संलग्नक पी-25 के अवलोकन से पता चलता है कि पहले आरोप के संबंध में, इस प्रभाव के लिए कि राजिंदर ने दिवंगत महिला व्याख्याता के साथ दुर्व्यवहार किया था और गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, जांच अधिकारी का निष्कर्ष यह है कि "वर्णित परिस्थितियों में", इस तथ्य को देखते हुए कि आरोप पत्र में दर्ज कर्मचारी दुर्व्यवहार का दोषी था या नहीं, इस बारे में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है कि दोनों तरफ से आरोप और जवाबी आरोप लगाए गए थे और चूंकि नीलम कुमारी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए यह निष्कर्ष निकालना उचित और उचित नहीं था कि राजिंदर दोषी था।

(70) जहां तक दूसरे आरोप का संबंध है, राजिंदर द्वारा बारहवीं कक्षा के छात्रों को उकसाने और इस तरह से स्कूल का माहौल खराब करने के संबंध में, जांच अधिकारी ने फिर से पाया कि कर्मचारी को दोषी ठहराने के लिए एक निश्चित निष्कर्ष

पर पहुंचना संभव नहीं था, वस्तुतः उसी कारण से, कि नीलम कुमारी की मृत्यु हो गई थी और इसलिए कोई प्रतिपरीक्षा संभव नहीं थी (क्योंकि वह आरोप अनिवार्य रूप से नीलम कुमारी द्वारा की गई शिकायतों पर भी था)।

(71) राजिंदर कुमार के खिलाफ तीसरा आरोप यह था कि यह दिवंगत महिला के साथ उसका दुर्व्यवहार था जिसके कारण 11.02.2009 पर "मानसिक अशांति के कारण" उसकी मृत्यु हो गई थी।

(72) उस आरोप के संबंध में, जांच अधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि विभागीय साक्ष्य उस आरोप की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त नहीं था और किसी भी मामले में, वह आरोप आरोप 4 से संबंधित होने के कारण, कि राजिंदर को उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के कारण न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था, मामला अभी भी निचली अदालत के समक्ष विचाराधीन था।

(73) इस प्रकार इस निष्कर्ष के कारण कोई 'विशिष्ट दोषमुक्ति' नहीं है कि वास्तव में नीलम कुमारी/उनके पिता द्वारा लगाए गए आरोप सही या गलत थे, लेकिन इस तथ्य के कारण कि नीलम कुमारी की मृत्यु हो गई थी, उनसे जिरह नहीं की गई थी और इसलिए, आरोपों की कोई पुष्टि नहीं हुई थी।

(74) विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता इस तर्क पर आते हुए कि यहां तक कि विद्वान अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश ने भी नीलम कुमारी द्वारा उनके स्थानांतरण के खिलाफ दायर मुकदमे में कहा था कि वह मानसिक रूप से परेशान थी, उक्त आदेश संलग्नक पी-26 दिनांक 07.02.2009 के अवलोकन से पता चलता है कि विद्वान अदालत द्वारा (आदेश 39 नियम 1 और 2 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन पर पारित एक आदेश में) इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नीलम कुमारी को मानसिक स्वास्थ्य की टूटी हुई स्थिति में पाया गया था और वह स्कूल के पुरुष सदस्यों के खिलाफ शिकायत कर रही थी, उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगा रही थी, और वर्तमान याचिकाकर्ता (प्रतिवादी नं. 3 सिविल न्यायालय के समक्ष), उसकी शिकायत/आरोप था कि वह उसके मुकदमा में कोई चिंता नहीं दिखा रहा था।उस मामले में दिवंगत अभियोक्ता (नीलम कुमारी) ने भी कहा था कि अगर चीजें इसी तरह से जारी रहीं तो वह इस्तीफा देना या अपना जीवन समाप्त करना चाहेंगी।

(75) ऊपर बताए जाने के बाद, विद्वान सिविल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि स्कूल के काम करने के लिए बेहतर होगा कि अभियोक्ता एक अलग स्कूल में रहे और इसलिए, वह स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाने की हकदार नहीं थी।

(76) इसलिए, दीवानी अदालत द्वारा जो दर्ज किया गया है, वह मुकदमे में अंतिम निष्कर्ष नहीं है कि स्वर्गीय नीलम कुमारी झूठे आरोप लगा रही थीं, बल्कि यह कि उनके मानसिक स्वास्थ्य की जर्जर स्थिति में, यह बेहतर हो सकता है कि वे मुकदमे विचाराधीनता रहने के दौरान किसी अन्य स्कूल में रहें।

(77) जाँच अधिकारी द्वारा वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ निष्कर्षों के साथ में आते हुए, जाँच रिपोर्ट संलग्नक पी-4 के अनुसार, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, उन्होंने एकल आरोप को दो भागों में विभाजित करते हुए एक निष्कर्ष दर्ज किया था, और नीलम कुमारी द्वारा की गई यौन उत्पीड़न शिकायत की उपेक्षा के निष्कर्ष के संबंध में, आरोप का वह हिस्सा साबित माना गया था, लेकिन यह आरोप कि उन्होंने अपने स्तर पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच नहीं की और आगे उन्हें उच्च अधिकारियों के ध्यान में नहीं लाया और इसके बजाय इसकी जाँच के लिए स्कूल के पांच सदस्यों की एक समिति का गठन किया, जिसे साबित नहीं किया गया।

(78) यहाँ यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि वास्तव में जांच अधिकारी का निष्कर्ष, जो आरोप के उस हिस्से पर साबित नहीं हुआ, उत्पीड़न की शिकायतों की जांच कराने के बजाय पांच कर्मचारियों की समिति के गठन के संबंध में था।उस आरोप को साबित नहीं माना गया क्योंकि जांच में यह पाया गया कि पांच सदस्यीय समिति के गठन के आदेश के अनुसार, समिति को नीलम कुमारी के खिलाफ राजिंदर द्वारा की गई शिकायतों पर गौर करना था, न कि नीलम कुमारी द्वारा राजिंदर के खिलाफ की गई किसी भी शिकायत पर।

(79) वास्तव में, यदि तार्किक रूप से देखा जाए, तो नीलम कुमारियों की शिकायतों/आरोपों की जांच नहीं कराने या उन्हें उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट नहीं करने का तथ्य वास्तव में उस आरोप का एक हिस्सा होगा जो साबित हुआ, क्योंकि यह माना गया था कि याचिकाकर्ता ने वास्तव में नीलम कुमारी द्वारा की गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों की उपेक्षा की थी।

(80) इसलिए, आरोप की ओर से जो निष्कर्ष साबित नहीं हुआ है, वह वास्तव में साबित किए जाने वाले हिस्से के विपरीत है।

(81) याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि स्कूल में क्लर्क, यानी राजबीर कौर ने भी जांच कार्यवाही में इस आशय की गवाही दी कि नीलम

कुमारी के पिता द्वारा प्रस्तुत शिकायतों में से कोई भी प्राप्त नहीं हुई थी, और इसलिए, उस गवाही के साथ, यह भी तथ्य कि स्कूल में उत्तराधिकारी प्रिंसिपल ने भी आपराधिक जांच में संबंधित पुलिस अधिकारियों को लिखा था कि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी, यह साबित करता है कि सभी शिकायतें वास्तव में मृतक महिला के पिता द्वारा विचार के बाद की गई थीं।

(82) इस न्यायालय की राय में, उस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि, सबसे पहले, जांच अधिकारी का निष्कर्ष (रिपोर्ट के पैराग्राफ 17 में) यह है कि नीलम कुमारी के पिता की जिरह में, याचिकाकर्ता ने सुझाव दिया था कि जो दस्तावेज 'प्रारंभिक जांच अधिकारी' को दिए गए थे, वे जाली थे, लेकिन उक्त सुझाव से संबंधित कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया था, और उस स्थिति में, यह महसूस किया जाता है कि स्वर्गीय नीलम कुमारी ने इन शिकायतों को अपने जीवनकाल में लिखा था और इसलिए, इसे झूठा और जाली नहीं कहा जा सकता है; और आगे क्योंकि वह मर गई थी, शिकायतें भेजने के तरीके का पता नहीं लगाया जा सका।"

(83) वास्तव में, जांच अधिकारी के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए बयान, केवल शिकायतों की प्राप्ति से इनकार करने पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है।

(अमोल रतन सिंह, जे.)

(84) विवादित आदेश में प्रतिवादी प्राधिकारी का यह निष्कर्ष कि छात्रों और राजिंदर के खिलाफ रसीद रजिस्टर को प्रस्तुत नहीं करना/नीलम कुमारी द्वारा की गई शिकायतों को रसीद रजिस्टर में नहीं दिखाया जाना, प्रिंसिपल (याचिकाकर्ता) के पक्षपात को दर्शाता है, इस अदालत की राय में दोष नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि नीलम कुमारी ने अपने स्थानांतरण के खिलाफ एक दीवानी मुकदमा दायर किया था, और उस दीवानी मुकदमे में ही, जैसा कि विद्वान दीवानी न्यायाधीश, संलग्नक पी-26 के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है, उसने राजिंदर के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए थे, याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप लगाये थे कि प्रिंसिपल होने के नाते, उसने हमेशा 'राजिंदर का के साथ दिया था।

(85) इसलिए, इस तथ्य को देखते हुए कि नीलम कुमारी के पिता द्वारा पत्र प्रस्तुत किए गए थे, जिन्हें उनके द्वारा की गई शिकायतों की प्रतियां कहा गया है, यह विश्वास करना संभव नहीं है कि याचिकाकर्ता से नीलम कुमारी ने कभी भी राजिंदर के हाथों यौन उत्पीड़न के आरोपों के साथ संपर्क नहीं किया था।

(86) इसलिए, इस न्यायालय की राय में भी, प्रतिवादी प्राधिकरण सही ढंग से उस निष्कर्ष पर पहुंचा, यहां तक कि जांच अधिकारी ने भी (हालांकि पर्याप्त विस्तृत कारणों से नहीं) कहा कि याचिकाकर्ता नीलम कुमारी द्वारा की गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों की उपेक्षा करने में दोषी था।

(87) यौन उत्पीड़न के ऐसे आरोप सही थे या नहीं, इस पर टिप्पणी नहीं की जा रही है, अनुशासनात्मक कार्यवाही में राजिंदर के दोषमुक्त होने को कोई चुनौती नहीं दी गई है, और उनका आरोप है कि वास्तव में महिला व्याख्याता द्वारा उन्हें 'जातिगत दुर्व्यवहार' आदि के माध्यम से परेशान किया गया था। उस आरोप पर इस न्यायालय द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन वर्तमान याचिका के संदर्भ में दोनों पक्षों की दलीलों पर ध्यान देना आवश्यक था।

(88) यह कहने के बाद, अब सवाल यह है कि क्या याचिकाकर्ताओं के सेवा रिकॉर्ड की पृष्ठभूमि में और विशेष रूप से नीलम कुमारी द्वारा उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का कोई आरोप नहीं लगाया गया है, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि जिस व्यक्ति के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया गया था, उसे दंडक प्राधिकरण द्वारा पूरी तरह से दोषमुक्त कर दिया गया है, क्या याचिकाकर्ता पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति की सजा टिकाऊ हो सकती है?

(89) हालाँकि, इस न्यायालय की राय में, इस आरोप को ध्यान में रखते हुए कि उसने उस महिला द्वारा की गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया, जिसकी अंततः मृत्यु हो गई (हालांकि यह आत्महत्या का मामला साबित नहीं हुआ), अन्यथा सजा पूरी तरह से उचित होगी, हालांकि, दोहराने के लिए,

चूंकि जिस व्यक्ति के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था, उस पर कोई सजा नहीं दी गई है, इसलिए याचिकाकर्ता पर ऐसी कठोर सजा टिकाऊ नहीं लगती है।

(90) यहां यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि जांच रिपोर्ट अनुलग्नक पी-4 और पी-5 के अवलोकन से पता चलता है कि वास्तव में नीलम कुमारी के पिता ने याचिकाकर्ता के खिलाफ खुद भी यौन शोषण का आरोप लगाया था, हालांकि, न तो याचिकाकर्ता के खिलाफ ऐसा कोई आरोप था, न ही वास्तव में दीवानी मुकदमे में पारित आदेश में (अंतरिम राहत के लिए एक आवेदन पर), विद्वान दीवानी न्यायाधीश ने अभियोक्ता (शिकायतकर्ता नीलम कुमारी) का कोई तथ्य दर्ज किया है कि याचिकाकर्ता ने भी उसका यौन उत्पीड़न किया था।उपरोक्त आदेश में दर्ज यौन उत्पीड़न का आरोप केवल हिंदी के व्याख्याता राजिंदर के खिलाफ था, जिसमें

याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप था कि उसने राजिंदर या राजिंदर के उकसावे पर गलत गतिविधियों में लिप्त लड़कों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की और उसने (याचिकाकर्ता) हमेशा राजिंदर का पक्ष लिया।

(91) जाँच अधिकारी की जाँच रिपोर्ट, राजिंदर को इस आधार पर दोषमुक्त करती है कि नीलम कुमारी की मृत्यु हो गई थी, यौन उत्पीड़न के आरोपों को साबित नहीं किया जा सकता था, दंडक प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किया गया था, जिसके पास राजिंदर को सजा देने का कोई आधार नहीं था।

(92) हालाँकि, यह इस तथ्य को दूर नहीं करता है कि, इस न्यायालय की राय में भी, याचिकाकर्ता की ओर से लापरवाही का तथ्य, नीलम कुमारी की शिकायतों को उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाने में, या यहाँ तक कि उनकी जांच करने में, और वास्तव में रजिस्टर में उनकी शिकायतों के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं करना, एक प्राचार्य, यानी एक शैक्षणिक संस्थान के प्रशासनिक प्रमुख के पद पर बैठे व्यक्ति के लिए कुछ अशोभनीय है।

(93) बहुत स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता ने जिला शिक्षा अधिकारी के ध्यान में लाया कि नीलम कुमारी के संबंध में सब कुछ ठीक नहीं था, और इसलिए उसे उक्त अधिकारी द्वारा एक अलग स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया था, और याचिकाकर्ता उस याचिका को गलत मान सकता है क्योंकि उसके द्वारा अपने तत्काल वरिष्ठ के ध्यान में लाया गया था।फिर भी, यह उन्हें नीलम कुमारी द्वारा की गई शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं देने के आरोप से दोषमुक्त नहीं करता है।

(94) याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं की गई किसी भी जांच के आधार पर राजिंदर के खिलाफ आरोप साबित हुए होंगे या नहीं, यह एक और मामला है, जिसका नीलम कुमारी की मृत्यु के बाद अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

।हालाँकि, उनके द्वारा दी गई किसी भी शिकायत से पूरी तरह से इनकार करना, भले ही उन्होंने अपने स्थानांतरण के खिलाफ एक दीवानी मुकदमा दायर किया हो, वही आरोप लगाना, कुछ ऐसा है जिसे इस न्यायालय द्वारा प्रतिग्रहण करना करना संभव नहीं है।

(95) यदि मृतक व्याख्याता द्वारा उनके द्वारा मुकदमा दीवानी मुकदमे में उक्त आरोप नहीं लगाए गए होते, तो याचिकाकर्ता का यह तर्क कि उनके द्वारा यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं की गई थी, स्वीकार किया जा सकता था।हालाँकि,

उक्त आरोप उनके द्वारा 27.01.2009 पर मुकदमा दीवानी मुकदमे में लगाए जाने के साथ, भले ही उनके पिता द्वारा बाद में प्रस्तुत शिकायतों को संभवतः जाली/मनगढ़ंत होने के रूप में नजरअंदाज किया जाए, जैसा कि तर्क दिया गया था, यह विश्वास करना संभव नहीं है कि उन्होंने दीवानी मुकदमे में डालने से पहले स्वयं प्रधानाचार्य से शिकायत नहीं की होगी।बहुत स्पष्ट रूप से, उसकी शिकायत और उसके खिलाफ पुरुष व्याख्याता द्वारा दायर जवाबी शिकायतों के कारण उसे उसी आसपास के एक अलग स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया।इसलिए, मेरी राय में, याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को प्रतिग्रहण करना करना संभव नहीं है कि उन्होंने कभी भी उनसे ऐसी कोई शिकायत नहीं की।

(96) स्वर्गीय नीलम कुमारी द्वारा लगाए गए आरोपों की सच्चाई या अन्यथा कोई टिप्पणी किए बिना, भले ही यह (तर्क के लिए) हो, यह मान लिया जाए कि उनके द्वारा की गई शिकायत में बहुत अधिक सच्चाई नहीं थी, संस्था के प्रमुख के रूप में याचिकाकर्ता का कर्तव्य था कि वह या तो स्वयं मामले की जांच करे, या उस पर जांच शुरू करे, या इसे उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाए।हालाँकि, उपरोक्त परिस्थितियों में शिकायतें प्राप्त होने से भी उनका पूर्ण इनकार विश्वसनीय नहीं है।

(97) नतीजतन, नीलम कुमारी की शिकायतों की उपेक्षा करने के आरोप में याचिकाकर्ता के अपराध के संबंध में जांच अधिकारी और दंडक प्राधिकरण के निष्कर्ष को बरकरार रखते हुए, लेकिन क्योंकि जिस व्यक्ति के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे, उसके खिलाफ अनिर्णायक निष्कर्षों को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंततः कोई सजा नहीं दी गई है, इस याचिका को आंशिक रूप से इस हद तक अनुमति दी जाती है कि याचिकाकर्ता को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा के विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें मामला प्रतिवादी को याचिकाकर्ता को दी जाने वाली सजा की मात्रा पर एक नया निर्णय लेने के लिए, सेवा में उसके पिछले रिकॉर्ड को भी ध्यान में रखते हुए भेजा गया।

(98) यहाँ यह कहा जा सकता है कि यह न्यायालय आम तौर पर दी गई सजा की मात्रा में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन उस व्यक्ति की परिस्थिति में जिसके खिलाफ मुख्य आरोप है को दोषमुक्त कर दिया गया ।

स्वर्गीय नीलम कुमारी की शिकायत की उपेक्षा करने के लिए याचिकाकर्ता पर लगाए गए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दंड को बहुत कठोर माना जाता है।

(99) इन परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं हो सकता है।

शुभरीत कौर

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देशेय के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देशेयो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यावयन के उद्देशेय के लिए उपयुक्त रहेगा।

Anita Dagar